

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-35/2018/

दिनांक:

-:आदेश:-

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11 (7) एफ.डी/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008, एफ. 14(88)वित्त (नियम)/2008-। दिनांक 31.12.2009 एवं एफ.15(1)एफडी/नियम 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्स प्रथम जिन्होंने 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल में एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री) व पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	देय पे बैण्ड एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल प्राप्त	देय ग्रेड-पे/पे-मैट्रिक्स लेवल
1.	चैनाराम चौधरी, नर्स प्रथम	जोधपुर	20.07.90	20.07.2017 27 वर्ष	15600-39100	6000
2.	हुकम चन्द, नर्स प्रथम	जोधपुर	20.06.90	20.06.2017 27 वर्ष	L-13	L-14
3.	महेश भटेवरा, नर्स प्रथम	प्रतापगढ़	27.12.90	27.12.2017 27 वर्ष	L-13	L-14
4.	अमरचंद भांभी, नर्स प्रथम	अजमेर	09.09.89	09.09.2016 27 वर्ष	15600-39100	6000
5.	पुष्पा रोट, नर्स प्रथम	बांसवाड़ा	27.09.86	27.09.2013 27 वर्ष	15600-39100	6000
6.	ग्रेसी सिरियक, नर्स प्रथम	जयपुर	23.09.91	23.09.2018 27 वर्ष	L-13	L-14
7.	रमेश चन्द कोली, नर्स प्रथम	अलवर	26.07.90	26.07.2017 27 वर्ष	15600-39100	6000
8.	विष्णु कुमार गुप्ता, नर्स प्रथम	कोटा	02.08.91	02.08.2018 27 वर्ष	L-13	L-14
9.	नसीम अन्जुम खान, नर्स प्रथम	कोटा	19.07.90	19.07.2017 27 वर्ष	15600-39100	6000

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी संतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारम्भ से ही शून्य होगा।

उक्त कार्मिकों का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जायेगा।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर
दिनांक: 16-01-2019

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-35/2018/14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, कराबी योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
3. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय।
4. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस सी., मुख्यालय।
5. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
8. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
9. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
10. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
11. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
12. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर